Shambhu nath Pandey.

अनुसूचि 21 - प्रपत्र संख्या 113

सम्पति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र, सं0 7 31/2018 201...... आवेदन संख्या-......................

चुकि श्री Secretary D.I.R.P. Bed College मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पति के सम्बध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण : प्रमाण-पत्र दिया जाये,

(आवेदन में तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों के बारे में बही नं0-1 में और उसके सम्बद्ध अनुक्रमणियों में तारीख 1/1/2001 201........ से तारीख 31/10/18 201.......तक तलासी की गई और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza / Chitragopi	Thana / 275	1 Chola / 24	Plot / 427, 429				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वैधता की इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ उपर्युक्त सव्यवहार और अवभारों को छोड उक्त सम्पति प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवभार का पता यहाँ चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण - पत्र तैयार किया

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय

तारीख 10-11-2018 मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो सव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पति विवरण के अनुसार लाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही सम्पतियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स)की प्रविष्टयाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेने चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट सम्पतियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है, फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिए गये तलासी परिणाम और किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और, चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चुकि उनके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ने ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार होगा। जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।